"मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा में चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन"

शोधकर्ता
डॉ. नाज़नीन मोबीन
प्राचार्य, एंजल हाई स्कूल, हजारीबाग

शिक्षा समाज की आधार शिला है। समाज में जिस प्रकार की शिक्षा होगी उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। अतः इस बात का सदैव प्रयत्न करना चाहिये कि शिक्षा के उद्देश्य समाज के अनुकूल हों। शिक्षा सामाजिक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। व्यक्ति विद्यमान तथा संभाव्य शिक्षार्थी, शिक्षक, माता–पिता उस रीति को, जिससे शिक्षा का अंतिम उद्देश्य निश्चित होते हैं। चेतन या अचेतन रूप से प्रभावित करते हैं।

शिक्षा का काम मनुष्य के विवेक को जागृत करके उसे निष्पक्ष विचारक बनाऐ एवं उसे अन्ध विश्वास, कुरीतियों से मुक्ति दिलाकर उसे आर्थिक और सामाजिक द्वन्द से बचाए। शिक्षित बालिकाएँ व महिलाएँ अपने परिवारों में सामंजस्य की भावना का प्रकाश ला सकती है और समुदाय में शांति, मधुरता, सन्मति, सद्बुद्धि व संस्कृति की अग्रदूत बन सकती है। उन्हीं के कंधों पर उन असंख्य बहिनों का उत्तरदायित्व है जो अज्ञान, निर्धनता, अंधविश्वासों रूढ़ियों, अंधी दासता तथा पिछड़ेपन के झूले में हिचखोले खा रही है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही महिलाओं की सामाजिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। विभिन्न योजनाओं में स्त्री शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया। विभिन्न आयोगों एवं समितियों ने भी स्त्री शिक्षा के विकासार्थ सुझाव दिये। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958–59) में मुख्य रूप से पुरूष एवं महिलाओं की शिक्षा में अवसरों की समानता पर जोर दिया गया। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा आयोग में सहशिक्षा वाले शिक्षण संस्थानों में महिला शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय पर बल दिया है। भक्तवत्सलम् समिति (1963) ने बालिकाओं कोशिक्षा में सुधार हेतु निर्धन बालिकाओं को विद्यालयीन गणवेश, पाठ्य सामग्री प्रदान करना, सहशिक्षा को प्रोत्साहन,

बालिकाओं के विद्यालयों की स्थापना हेतु दिये गये। इसके बावजूद बालिकाओं की शिक्षा की आशा अनुरूप प्रगति नहीं हुई। विशेषकर मुस्लिम बालिकाएँ शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। कई मुस्लिम बालिकाएँ धार्मिक शिक्षा प्राप्त करती हैं। वे स्कूली शिक्षा से वंचित ही रह जाती है जबकि इस्लाम में स्त्री–पुरूष की शिक्षा पर समान रूप से जोर दिया गया है। यह बात कुरान की इस आयत से सिद्ध होती हैं। ''तलबतुल इल्में फरीजतन अल्ला कुल्ले मुसलेमन व मुसलेमतन'' अर्थात् मुस्लिम स्त्री–पुरूष को शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त करना चाहिये।

महिलाएँ एवं शिक्षा

मानव समाज का विकास और उसकी प्रगति तब तक संभव नहीं जब तक विश्व में महिलाओं की स्थिति में आमूल सुधार नहीं होता है। ओर उनको उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किये गये।

यदि महिलाओं की शक्ति को संगठित किया जाय तो वो एक बड़ी शक्ति साबित हो सकती है। महिलाओं की समाज में वास्तविक स्थिति देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रमुख मापन हैं। अगर महिलाओं को विकास के पुरूषों के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं तो निश्चित ही देश पिछड़ जायेगा और उस देश की सुख शांति भी खतरे में पड़ जावेगी।

अध्ययन के उद्देश्य

1. मुस्लिम समाज की बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली विभिन्न कठिनाईयों को जानना।
2. पर्दा प्रथा मुस्लिम बालक–बालिका की शिक्षा को बाधित करती है इसका पता लगाना।
3. मुस्लिम परिवार में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में अंतर का पता लगाना।

4. सहशिक्षा के प्रति मुस्लिम पालकों के दृष्टिकोण का पता लगाना।

परिकल्पना

परिकल्पनाओं का निर्माण किया हैं जिनका परीक्षण अध्ययन के दौरान किया जावेगा।

- मुस्लिम समाज की बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आती है।
- मुस्लिम परिवारों में बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के प्रति समान दृष्टिकोण है।
- सहशिक्षा के प्रति मुस्लिम पालकों का दृष्टिकोण सकारात्मक हैं।

न्यादर्श

अध्ययन के लिए 125 न्यादर्शो का चयन किया इनमें 50 बालिकाऐं 25 पालक एवं 25 समाज के सम्मानित नागरिक एवं 25 शिक्षकों का चयन किया और इन न्यादर्शो से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र कर अध्ययन करना निश्चित किया हैं।

उपकरण

किसी भी अध्ययन के लिए आंकड़ों का एकत्रितकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत शोध विषय में छात्राओं, पालकों, सम्मानित लोगों एवं शिक्षकों के लिए संलग्न प्रश्नावलियों का प्रयोग किया गया हैं और अवलोकन पद्धति स्वतः समाविष्ट हैं।

छात्राओं के परिवार के सदस्य संख्या संबंधी जानकारी

स.क्र.	परिवार संख्या	प्रति परिवार सदस्य संख्या	कुल संख्या	विशेष
1	1	4	4	
2	5	5	25	
3	3	6	18	
4	7	7	49	
5	13	8	104	
6	4	9	36	
7	4	10	40	
8	1	11	11	औसत परिवार सदस्य संख्या 9.66
9	1	12	12	हैं।
10	4	13	52	
11	3	15	45	
12	2	16	32	
13	1	19	19	
14	2	23	46	
	51		493	

उक्त सारणी का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि सबसे अधिक 23 सदस्य वाले 2 परिवार हैं और अधिकतम 13 परिवार 8 सदस्य वाले हैं सर्वेक्षण में सम्मिलित 50 छात्राओं के परिवारों की औसत सदस्य संख्या 9.66 हैं। यह औसत सदस्य संख्या निश्चित ही

बड़े परिवार की द्योतक है। बड़ा परिवार बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा की शैक्षणिक प्रगति में निश्चित रूप से बाधक होता है।

छात्राओं के

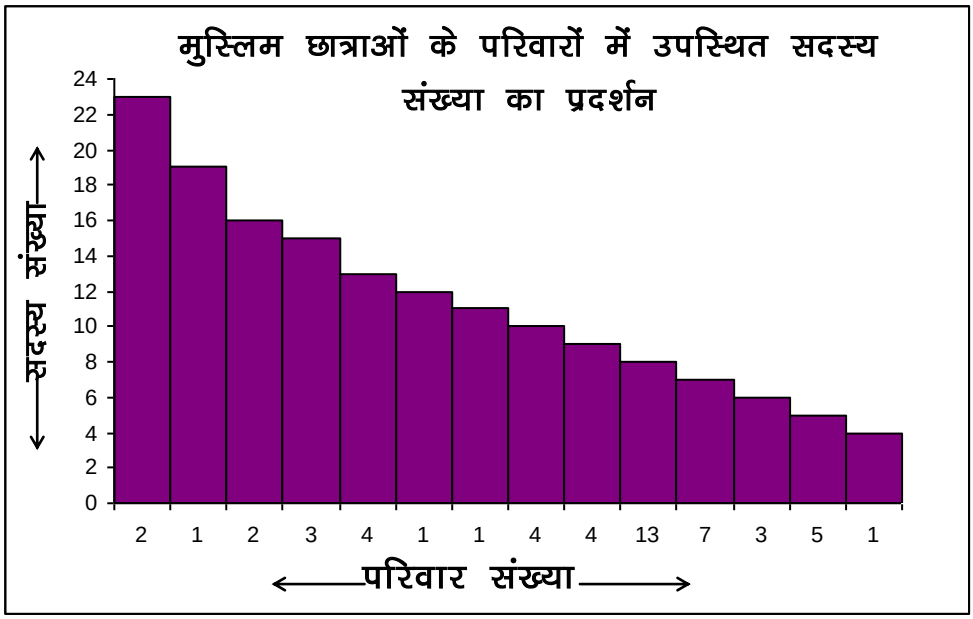

परिवार के शिक्षित सदस्यों की जानकारी –

स.क्रं.	पुरूष	संख्या	प्रतिशत	पुरूष	संख्या	प्रतिशत
1.	शिक्षित	59	77.6	शिक्षित	14	31.1
2.	अशिक्षित	17	22.3	अशिक्षित	30	68.9
	योग	76	100	योग	44	100

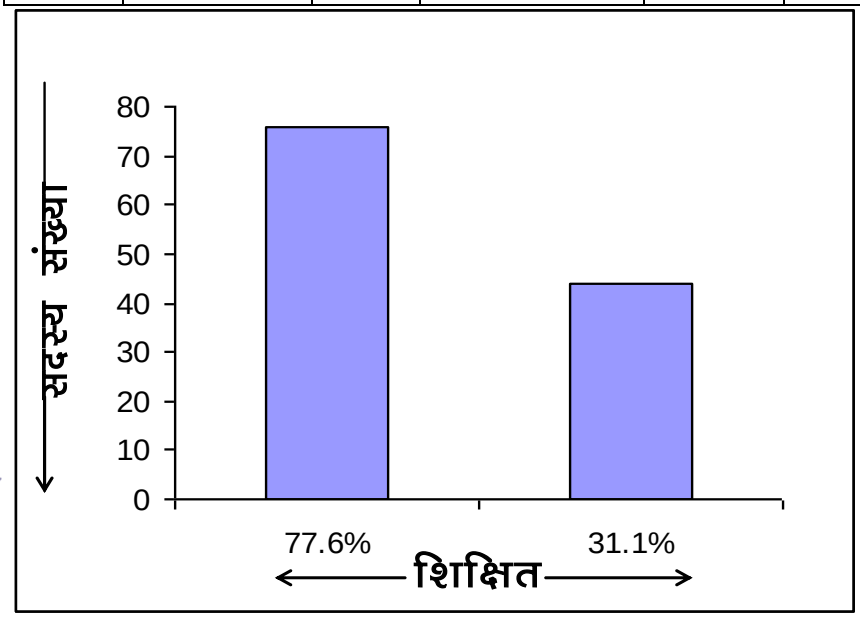

उक्त सारणी का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 50 छात्राओं के परिवारों में 59 पुरूष अर्थात् 77.6 शिक्षित तथा 17 पुरूष, अर्थात् 22.3 प्रतिशत अशिक्षित हैं। जबकि 14 महिलाएँ अर्थात् 31.1 प्रतिशत शिक्षित तथा 30 महिलाएँ अर्थात् 68.9 प्रतिशत अशिक्षित हैं। इस प्रकार महिलएँ पुरूषों की तुलना में शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। चूँकि माता बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला होती है। मुस्लिम समाज में जब माता ही अशिक्षित होती है तो बालिकाओं की शिक्षा की ओर किसका ध्यान जायेगा इसलिए मुस्लिम बालिकाएँ शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई होती हैं।

निष्कर्ष

प्रदत्तों के संकलन के समय शोधकर्ता के अनुभव, प्रदत्तों के विश्लेषण तथा परिकल्पनाओं के सत्यापन से निम्न निष्कर्ष स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।

- बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, पर्दा प्रथा, पालकों की निर्धनता, पालकों की कम आय, घर का वातावरण, गंदी एवं घनी बस्ती में निवास करना आदि कारक बालिकाओं की शिक्षा को बाधित करते हैं।
- मुस्लिम बालिकाएँ, घरेलू कार्य, छोटे बच्चों की देखभाल करने के कारण नियमित स्कूल नहीं जाती हैं, इसलिये शिक्षा में पिछड़ जाती हैं।
- बालिकाओं के घर का माहौल, अशिक्षित, कलहपूर्ण होने के कारण वह शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाती हैं।
- गणित, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषय बालिकाओं को कठिन लगते हैं, यह विषय कठिन लगने के कारण उनकी उस विषय में अरूचि, समझ में आना, निर्धनता के कारण ट्यूशन न कर पाना हैं, फलतः वे इन विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाती हैं और उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।
- पालकों का अशिक्षित होना भी बालिकाओं की शिक्षा को बाधित करता है।

- मुस्लिम पालक सहशिक्षा के पक्षधर नहीं हैं जिसके कारण मुस्लिम बालिकाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है।
- पालकों के अनुसार अधिक शिक्षित बालिकाओं को उनके योग्य वर नहीं मिल पाता, इस कारण बालिकाओं की शिक्षा बाधित हो जाती हैं।
- मुस्लिम बालिकाओं का विवाह कम आयु में हो जाता हैं, विवाह के कारण वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाती हैं और वे अपनी शिक्षा अधूरी ही छोड़ देती हैं।
- पालकों के अनुसार बालक कमाता हैं और बालिकाएँ पराया धन होती है और पालक को कोई आर्थिक मद्द नहीं पहुँचाती हैं। इसलिये पालक बालिकाओं की तुलना में बालकों को अधिक शिक्षित करना पसंद करते हैं। पालकों की इस सोच के कारण बालिकाएँ शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाती हैं।
- वर्तमान शिक्षा प्रणाली रोजागारोन्मुखी नहीं हैं। इसलिये पालक बालिकाओं की शिक्षा पर निरर्थक व्यय नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली मुस्लिम बालिकाओं की शैक्षणिक प्रगति को बाधित करती है।

सुझाव

मुस्लिम समाज के व्यक्तियों हेतु सुझाव

1. मुस्लिम महिलाओं और बालिकाओं के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज के व्यक्तियों कों अपने विचारों में परिवर्तन लाकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिये।

2. मुस्लिम परिवारों में सदस्य संख्या अधिक है। अतः परिवार की सदस्य संख्या सीमित कर बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध करना चाहिये।

3. मुस्लिम संयुक्त परिवारों में रहने वाले बुजुर्गो को अपनी परम्परावदी, रूढ़िवादी विचार धारा को छोड़कर बालिका शिक्षा कों प्रोत्साहित करना चाहिये।

4. मुस्लिम बालिका और बालक की शिक्षा में भेद नहीं करना चाहिये।

5. मुस्लिम बालिका की शिक्षा में मुख्य बाधक पर्दाप्रथा को समाप्त करना चाहिये।

6. 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह नहीं करना चाहिये।

7. मुस्लिम परिवारों में अधिकांशतः गरीबी व्याप्त है। अतः वे अपनी बालिकाओं को शिक्षा नहीं दें पाते हैं। ऐसी स्थिति में घर की महिलाएं गृह उद्योग जैसें– कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कपड़ों की छपाई, आचार, बढ़ी, पापड़, मुरब्बें आदि बनाकर शील्ड पैकेट में बंद करके बेचकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होवें तथा अपनी बालिकाओं की अच्छी शिक्षा का प्रबंध करें।

8. मुस्लिम पालकों को बालिका शिक्षा का महत्व समझाया जायें।

9. अशिक्षित पालकों को शिक्षित किया जायें।

10. मुस्लिम बालिकाओं को आवश्यक हो तो उच्च अध्ययन हेतु सहशिक्षा वाले विद्यालय/महाविद्यालयों में भेजा जाय।

11. गृहकार्य, छोटे भाई–बहनों की देखभाल आदि कार्यो से बालिका को मुक्ति दी जाय।

12. धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त बालिकाओं को स्कूली शिक्षा हेतु समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आगे उठकर प्रयास करना चाहिये।

13. मुस्लिम समाज के व्यक्तियों द्वारा सफल महिलाओं के उदाहरण मुस्लिम बालिका के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें शिक्षा हेतु प्रेरित किया जाय।

शासन हेतु सुझाव

1. शासन को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिये।
2. मुस्लिम परिवारों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार सीमित परिवार रखने की सलाह देना चाहिये।
3. मुस्लिम बहुलक्षेत्र में प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय खोले जाय। विद्यालयों में उर्दू विषय के रूप में पढ़ाई जाय।
4. बड़ी उम्र की जिन बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ दी है। उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जाय।
5. विद्यालय में महिला शिक्षिकाओं की व्यवस्था की जाय।
6. जो मुस्लिम महिलाएँ शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं। उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाय। इस हेतु मुस्लिम बस्तियों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जाय।
7. सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अस्थायी चल–चित्रों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया जाय एवं शिक्षा के द्वारा घर की समृद्धि को दर्शाया जाय।
8. विद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं की संख्या वृद्धि के लिए तीव्र अभियान चलया जाय।
9. शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जाय।
10. शिक्षित मुस्लिम महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाय।
11. कम आयु में विवाह न हो, ऐसे कानूनों को कठोरता से पालन किया जाय
12. अधिकांशतः मुस्लिम परिवारों के पास आवास व्यवस्था नहीं हैं। ऐसे परिवारों को आसान दरों पर आवास उपलब्ध कराये जाये।

नगर पालिका हेतु सुझाव

1. भोपाल नगर की मुस्लिम बस्तियों की मुख्य समस्या बस्ती में व्याप्त गंदगी हैं। अतः नगर पालिका द्वारा नियमित सफाई करवाई जाय।

2. मुस्लिम बस्तियों में नालियों एवं पक्की सड़कों का अभाव हैं। नगर पालिका द्वारा इनका निर्माण करवाया जाय।

3. नगर पालिका द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पुस्तकालय एवं वाचनालय का निर्माण करवाया जाय ताकि महिलाऐं/बालिकाऍं खाली समय में इसका उपयोग ज्ञानार्जन के लिए कर सकें।

समाज सेवी संस्थाओं हेतु सुझाव

1. भोपाल नगर में अनन्त सेवा संगठन, लायन्स क्लब, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, उड़ान महिला मंच आदि अनेक समाजसेवी संगठन हैं। इनके द्वारा शिक्षा प्रचार–प्रसार हेतु मुस्लिम बस्तियों में कार्यक्रम संचालित करना चाहिये।

2. इन समाजसेवी संस्थाओं को गरीब मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा हेतु उन्हें वित्तीय सहायता देनी चाहियें।

3. समाज सेवी संस्थाओं को मुस्लिम बस्तियों में स्वच्छता अभियान चलाना चाहिये।

4. इन संस्थाओं द्वारा मुस्लिम बस्तियों में साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, परिवार कल्याण अभियान चलाना चाहियें।

5. इन संस्थाओं के द्वारा गरीब मुस्लिम बालिकाओं हेतु शिक्षण सामग्री, गणवेश आदि की व्यवस्था करना चाहियें।

शिक्षक–शिक्षिकाओं हेतु सुझाव

1. यो तो शिक्षक वह आदर्श और प्रकाश का स्तंभ हैं जो संपूर्ण समाज को ज्ञान रूपी प्रकाश से अलोकित करता हैं। परन्तु जब समाज में निरक्षरता रूपी घनघोर अंधकार हो उस दशा में शिक्षक का दायित्व और बढ़ जाता हैं।

   नगर के ऐसे विद्यालयों जिसमें मुस्लिम बालिकाएँ बढ़ रही हैं। वहॉ के शिक्षक–शिक्षिकाओं को चाहियें कि वें शिक्षकीय व्यवसाय को नौकरी की दृष्टि से परे रखकर एक मिशन के रूप में मुस्लिम छात्राओं को ईमानदारी तथा निष्ठा से ज्ञान के आलोक से आलोकित करें। वे मुस्लिम पालकों को, मुस्लिम बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश दिलवाने हेतु प्रेरित करें।

2. विद्यालयों में होने वाली गतिविधियों में भाग लेने हेतु मुस्लिम बालिकाओं को प्रेरित किया जाय। ताकि उनकी झिझक समाप्त हो सके और वे सर्वागीण रूप से विकास कर सकें।

3. छात्राओं को स्वच्छ एवं सुन्दर पर्यावरण की शिक्षा दी जाय।

4. छात्राओं की शैक्षणिक कठिनाईयों को सुनकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

5. मुस्लिम छात्राओं के साथ प्रेमपूर्ण, सौहार्द्रपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिय।

महात्मागांधी जी के अनुसार ''शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई। मुस्लिम महिलाओं और छात्राओं को जितना अधिक सौन्दर्यमय, संस्कृति और शैक्षणिक जागरण से युक्त संपूर्णता की ओर विकसित किया जा सकें वहीं एक शिक्षक और शिक्षा का सही लक्ष्य हैं।''

संदर्भ ग्रंथों की सूची

हुसैन डॉ. जाकिर, शिक्षा

इस्लाम शमसुल, स्त्रियों के लिए जगह (इस्लाम में)

जौहरी बी.पी.एवं पाठक पी.डी., भारतीय शिक्षा का इतिहास